

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
"आदेश"

नया, रायपुर दिनांक 23 फरवरी, 2015

क्रमांक-4-25/सात-1/2015: विभागीय आदेश क्रमांक-1631/2238/2001, दिनांक 3.4.2001 के माध्यम से राजस्व विभाग से संबंधित भूमि आबंटन के प्रकरणों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु माननीय मंत्री राजस्व विभाग की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर को की जाने वाली भूमि आबंटन के प्रकरणों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु एतद् द्वारा छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-9-20/2014/1/5, नया रायपुर दिनांक 5.11.2014 के माध्यम से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गठित वरिष्ठ सचिव स्तरीय समिति को अधिकृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(क.आर.पिस्टा)

सचिव 23/2/2015

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नया, रायपुर दिनांक 23 फरवरी, 2015

क्रमांक-4-25/सात-1/2015:

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर सूचनार्थ।
 2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 4. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 5. विशेष सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 6. आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर।
 7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 8. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग